

4	प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा	
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	संलग्न है
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यनवयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है। ()
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय (दृष्टिकोण से समक्ष प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।	संलग्न है
5	जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (X,X i) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित है। संलग्न है।
6	विभाग/जिला प्रोफाइल	वन विभाग/कौशाम्बी
क	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2124 वर्ग कि०मी०
ख	जिले का वन क्षेत्र	310 हे०
ग	ममलो की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	06 मार्च / 106.9205 हे०
घ	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	06 मार्च / 106.9205 हे०
1-	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	106.9205 हे०
2-	वनोत्तर भूमि पर	
ड.	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	1 वन भूमि पर	8754 पौध
	2 वनोत्तर भूमि पर	
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव स्वीकृत होने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक :-

स्थान :- कौशाम्बी

प्रभागीय वनाधिकारी,
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी